भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 834
25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"फेम-II के तहत राजसहायता"

834. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया)-II का लक्ष्य 10 लाख दोपहिया वाहनों और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को राजसहायता प्रदान करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त राजसहायता मार्च, 2024 में समाप्त होने जा रही है;
(ग) यदि हां, तो जून, 2023 तक उन वाहनों (दोपहिया और बसों) का विवरण क्या है जिन्हें राजसहायता मिली है;
(घ) क्या फेम-II के बाद कोई अवशिष्ट निधि बची है और यदि हां, तो क्या सरकार फेम-III राजसहायता लॉन्च करने पर विचार कर रही है;
(ङ) क्या सरकार के संज्ञान में दोपहिया वाहन कंपनियों द्वारा राजसहायता के दुरुपयोग का मामला आया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर की गई कार्रवाई क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): जी हां। भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण, चरण-II (फेम इंडिया स्कीम चरण-II) स्कीम तैयार की है। इस चरण में मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण लिए सहायता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका उद्देश्य 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों तथा 10 लाख ई-दुपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के अंतर्गत दिनांक 20.07.2023 की स्थिति के अनुसार लगभग 7,40,722 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की बिक्री की गई है (http://fame2.heavyindustries.gov.in/dashboard.aspx के अनुसार)।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने इंट्रासिटी प्रचालन के लिए 65 शहरों/एसटीयू/राज्य सरकार की इकाइयों के लिए 6315 इलेक्ट्रिक बसों की संस्वीकृति दी है।

(घ): जी नहीं। इसके अलावा, फेम-।।। आरंभ करने का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ड.) और (च): जी हां। भारी उद्योग मंत्रालय में सरकार की फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के अंतर्गत राजसहायता के दुरूपयोग के संबंध में कुछ इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से सत्रह (17) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन से जुड़ी हैं। शिकायत संबंधी सभी मामलों को पुनः सत्यापन हेतु परीक्षण एजेंसियों को भेजा गया है। दो मूल उपकरण विनिर्माताओं के संबंध में रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात, इन दो मूल उपकरण विनिर्माताओं के मॉडलों को फेम स्कीम से हटा दिया गया है। साथ ही, उनके लंबित दावों के भुगतान को तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक कि वे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम समय-सीमा के लिए अपने अनुपालन किए जाने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते।

***